छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

—:: कार्यवाही विवरण ::—

मुख्य सचिव महो. की अध्यक्षता में आहूत मिशन स्मार्ट सिटी अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (HPSC) की प्रथम बैठक दिनांक 28.07.2015

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन स्मार्ट सिटी अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (HPSC) की प्रथम बैठक दिनांक 28.07.2015 को मुख्य सचिव महो. की अध्यक्षता में, मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कार्यालयीन प्रतिकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण सम्मिलित हुए :—

1. श्री एन.के. असवाल, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. श्री एन बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
3. श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
4. श्री अमित अग्रवाल, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
5. डॉ. रोहित यादव, संचालक संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास/मुख्य कार्य. अधिकारी, सूडा।
6. श्री के.के. जोअद्दार, चीफ टाउन प्लानर, टीसीपीओ (भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि)
7. श्री सारांश मित्तर, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर।
8. श्रीमती रानू साहू, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर।
9. श्री टोपेश्वर वर्मा, आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव।
10. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई।
11. श्री लोकेश्वर साहू, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई—चरौदा।
12. श्री एस.के. सुंदरानी, आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग।
13. श्री आलोक चंद्रवंशी, आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा।
14. श्री रमेश जायसवाल, आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर।
15. श्री प्रमोद शुक्ला, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़।
16. श्री लवकुश सिंगरौल, आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर।
17. श्री राकेश जायसवाल, आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी।
18. श्री ए.के. हालदार, आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव।

बैठक में सर्वप्रथम डॉ. रोहित यादव मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) द्वारा भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन स्मार्ट सिटी के संबंध में पावर–पाईन्ट प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा स्मार्ट सिटी चयन के संबंध में आयोजित प्रतिस्पर्धा के विभिन्न पहलुओं एवं योजना के मार्ग–निर्देशों के अनुसार निर्धारित 13 मानक बिन्दुओं पर अंकित किये जाने वाले अंकों के संबंध में भी प्रकाश डाला गया एवं अवगत कराया गया कि प्रदेश के 12 नगर पालिक निगमों – रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, बीरगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, भिलाई–चरौदां एवं धमतरी द्वारा स्मार्ट सिटी प्रतिस्पर्धा हेतु फार्म–2 में स्वमूल्यांकन सहित प्रविष्टियॉ प्रस्तुत की गई है।

मिशन डायरेक्टर द्वारा जानकारी दी गई कि निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के प्रतिपरीक्षण हेतु सूडा में शहरी विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विषय विशेषज्ञों की तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था, जिसमें 05 अन्य विशेषज्ञ जो कि एमआईएस, जीआईएस, अरबन प्लानिंग, म्यूनिसिपल फायनेंस तथा केपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है, को सम्मिलित कर, 02 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में एजेण्डा क्र. 5 में विस्तृत चर्चा की गई।

स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत एजेण्डावार चर्चा उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति हुई :–

एजेण्डा क्रमांक 1 – स्मार्ट सिटी मिशन का परिचय एवं दिशा–निर्देशों का अवलोकन।

समिति के समक्ष परियोजना से संबंधित समस्त विषयों जैसे – स्मार्ट सिटी चयन प्रक्रिया, स्मार्ट सिटी विकास के मॉडल, एसपीव्ही का गठन, वित्तीय प्रावधान आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। समिति द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों के पालन के संबंध में सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा क्रमांक 2 – नगरीय निकाय की सामान्य सभा से पारित संकल्प प्राप्ति की प्रत्याशा में प्रस्ताव स्वीकार कर मूल्यांकन किये जाने के संबंध में।

प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सह सदस्य सचिव हाईपावर कमेटी द्वारा समस्त 12 प्रतिभागी नगर पालिक निगम द्वारा संबंधित निगमों की सामान्य सभा

के विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी प्रदान की गई। समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा क्रमांक 3 – गैर जेएनएनयूआरएम शहरों द्वारा क्रियान्वित रिफार्म के लिए दिये जाने वाले प्राप्तांकों का अंकन किये जाने के निर्णय के संबंध में।

प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अन्य राज्यों को गैर जेएनएनयूआरएम शहरों के क्रियान्वित रिफार्म के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। भारत सरकार की सलाह अनुसार गैर जेएनएनयूआरएम शहरों को पूर्णांक 80 के आधार पर अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान अनुसार तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन एचपीएससी की सहमति की प्रत्याशा के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। समिति द्वारा गैर जेएनएनयूआरएम शहरों में पूर्णांक 80 के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर सहमति दी गई।

एजेण्डा क्रमांक 4 – जेएनएनयूआरएम मिशन अवधि 2005–2012 अंतर्गत स्वीकृत जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं की पूर्णता के संबंध में।

प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अन्य राज्यों को गैर जेएनएनयूआरएम शहरों के परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। भारत सरकार के सलाह अनुसार गैर जेएनएनयूआरएम शहरों में पूर्णांक 80 के आधार पर अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान अनुसार तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन एचपीएससी की सहमति की प्रत्याशा के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। समिति द्वारा गैर जेएनएनयूआरएम शहरों में पूर्णांक 80 के आधार पर मूल्यांकन किये जाने पर सहमति दी गई।

एजेण्डा क्रमांक 5 – स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत नगरीय निकायों की स्पर्धा में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के लिए 02 निकायों के मध्य समान प्राप्तांक (Score Tie) की स्थिति में निर्णय लिये जाने के संबंध में।

प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसित वर्ष 2014–15 के एसएलबी आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। समिति द्वारा फार्मूलाबेस मूल्यांकन के आधार को समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा क्रमांक 6 – नगरीय निकायों से प्राप्त एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर द्वारा परीक्षित, अनुशंसित प्रस्तावों का एचपीएससी द्वारा अनुमोदन के संबंध में।

6.1 स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शहरों को स्मार्ट बनाये जाने के उद्देश्य से नगरीय निकाय से प्राप्त प्रस्तावों में शामिल किये गये निकाय क्षेत्र में अवसंरचना सेवाओं तथा स्मार्ट समाधानों के लिए दिशा–निर्देश में निर्धारित प्रपत्रों में संबंधित निकायों द्वारा किये गए मूल्यांकन का परीक्षण करने हेतु गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा 12 निकायों से प्राप्त स्व–मूल्यांकन प्रस्तावों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्व–मूल्यांकन प्रपत्रों में आवश्यक अंकों का यथोचित सुधार किया गया। अंतिम रैंकिंग निम्नानुसार है :–

क्र.	शहर का नाम	प्राप्तांक (प्रतिशत) *	रैंकिंग
1.	रायपुर	90	01
2.	बिलासपुर	90	
3.	भिलाई	90	
4.	दुर्ग	90	
5.	बीरगांव	84.37	02
6.	कोरबा	81.25	03
7.	धमतरी	71.87	04
8.	अंबिकापुर	62.50	05
9.	राजनांदगांव	62.50	
10.	रायगढ़	62.50	
11.	भिलाई–चरौदा	53.12	06
12.	जगदलपुर	25	07

*** टीप :– भारत सरकार की अनुशंसानुसार जेएनएनयूआरएम वाले शहरों में 100 अंक के आधार पर तथा गैर जेएनएनयूआरएम वाले शहरों में 80 अंक के आधार पर प्राप्तांक का प्रतिशत निकाला गया।**

6.2 उपरोक्तानुसार रायपुर, बिलासपुर, भिलाई तथा दुर्ग के अंक समान होने पर, 04 शहर प्रथम स्थान पर है, चूंकि प्रथम चरण में भारत सरकार को स्मार्ट सिटी हेतु केवल 02

शहरों का चयन कर प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। अतएव उपरोक्त 04 शहरों में से 02 शहरों का परफार्मेंस के आधार पर निरपेक्ष चयन करने हेतु, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 के संबंधित निकायों के एसएलबी आंकड़ों को संज्ञान में लिया गया। तदानुसार चारों शहरों के अंकों का द्वितीय चरण मूल्यांकन किया गया, जिसमें कुल 150 अंक निर्धारित किये गए :–

1.	Coverage of Water Supply	10
2.	Per-capita availability of water at consumer-end	10
3.	Extent of Revenue Water	10
4.	Continuity of water supply	10
5.	Efficiency in redressal of consumer complaints related to water	10
6.	Quality of water supply	10
7.	Efficiency in collection of water charges	10
8.	Coverage of individual toilets	10
9.	Coverage of storm water drainage network	10
10.	Efficiency in collection of municipal solid waste	10
11.	Extent of cost recovery in SWM services	10
12.	Efficiency in collection of SWM charges	10
13.	Efficiency in redressal of consumer complaints related to SWM	10
14.	Population density	10
15.	Decadal growth rate	10

6.3 द्वितीय चरण मूल्यांकन के उपरान्त प्रथम चरण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 04 निकायों की स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

1.	रायपुर	104.03
2.	बिलासपुर	100.52
3.	भिलाई	94.08
4.	दुर्ग	80.15

6.4 गठित तकनीकी समिति द्वारा, उपरोक्तानुसार किये गए मूल्यांकन के आधार पर स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत रायपुर एवं बिलासपुर शहर का चयन करने की अनुशंसा पर सहमति प्रदान करते हुए, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु मिशन डायरेक्टर को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 7 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

<u>एजेण्डा</u> – पोटेनशियल शहरों के द्वितीय चरण की स्पर्धा हेतु स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने हेतु सलाहकार चयन के संबंध में चर्चा।

मिशन डायरेक्टर द्वारा, भारत सरकार द्वारा इस हेतु जारी मॉडल आरएफपी एवं सूचीबद्ध सलाहकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। स्मार्ट सिटी हेतु प्रस्तावित एसपीव्ही गठन होने तक सलाहकार चयन हेतु मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आरएफपी आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे अतिशीघ्र स्मार्ट सिटी हेतु प्रभावी प्रस्ताव तैयार किये जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त निर्देशानुसार बैठक समाप्त घोषित की गई।

Mandal 28/7/15

(आर.पी. मण्डल)
प्रमुख सचिव सह सदस्य सचिव
हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी

पृ.क्रमांक / 194/ PSUAD/ 2015 नया रायपुर, दिनांक : 28 / 07 / 2015

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग.।
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
6. संयुक्त सचिव (स्मार्ट सिटी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (यूडी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
10. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
11. श्री के.के. जोअद्दार, चीफ टाउन प्लानर, टीसीपीओ, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय।
12. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़।
13. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय नया रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
14. रिकार्ड फाईल।

Mandal 28/7/15

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग